अध्याय – 7
खनन प्राप्तियाँ

अध्याय–7
खनन प्राप्तियाँ

7.1 कर प्रशासन

खनिज संसाधन विभाग, सचिव खनन, मध्यप्रदेश शासन के समग्र प्रभार के अधीन कार्य करता है। संचालक, भौतिकी एवं खनिकर्म विभाग प्रमुख है, जिसकी सहायता के लिए चार क्षेत्रीय प्रमुख इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर तथा रीवा में, 50 जिला खनिज अधिकारी, जिला स्तर पर तथा एक हीरा अधिकारी, पन्ना में है। जिला खनिज अधिकारी, सहायक जिला खनिज अधिकारी तथा खनन निरीक्षक जिला स्तर पर कलेक्टर के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन रहते है।

खनन प्राप्तियाँ निम्नलिखित अधिनियमों तथा नियमों के प्रावधानों एवं उनके अंतर्गत जारी अधिसूचनाओं के अधीन संग्रहीत की जाती है :

- खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957;
- खनिज रियायत नियम, 1960,
- खनिज संरक्षण एवं विकास नियम, 1988,
- संगमरमर विकास एवं संरक्षण नियम, 2002,
- मध्य प्रदेश गौण खनिज नियम, 1996,
- मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण की रोकथाम) नियम, 2006,
- मध्यप्रदेश ग्रामीण अवसंरचना एवं सड़क विकास अधिनियम, 2005,
- कोयला खदान नियंत्रण नियम, 2004, तथा
- कोल बियरिंग क्षेत्र अधिनियम, 1957,

7.2 लेखापरीक्षा परिणाम

हमने वर्ष 2014–15 में खनन प्राप्तियों से संबंधित 51 ईकाइयों मे से 35 ईकाइयों के अभिलेखों की नमूना जांच में 1,097 प्रकरणों में ₹ 138.96 करोड़ के राजस्व की वसूली न होना/कम वसूली होना एवं अन्य अनियमितताएं प्रकट हुई, जिन्हें **तालिका 7.1** में उल्लेखित निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया है।

तालिका 7.1

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	अनिवार्य किराया/रायल्टी का अनारोपण/कम आरोपण	310	28.04
2.	ग्रामीण अवसंरचना एवं सड़क विकास कर का अवनिर्धारण	255	39.69
3.	व्यापारिक खदानों में संविदा राशि की कम वसूली	36	1.26
4.	विलंबित भुगतानों पर ब्याज का अनारोपण	122	0.95
5.	अन्य प्रेक्षण (चूना पत्थर के सीमेंट में परिवर्तित घटक के कारण रायल्टी की अवसूली, पर्यावरण अनुमति के कारण खदानों की नीलामी व संचालन न होना, मुद्रांक शुल्क व पंजीयन फीस की कम वसूली)	374	69.02
	योग	**1,097**	**138.96**

विभाग ने 1,024 प्रकरणों में ₹ 78.19 करोड़ के राजस्व की वसूली न होना/कम वसूली होना/अनारोपण तथा अन्य कमियों को स्वीकार किया जिन्हे वर्ष 2014–15 के दौरान लेखापरीक्षा में इंगित किया गया था तथा 132 प्रकरणों में ₹ 3.19 करोड़ की वसूली की गई।

कुछ उदाहरणात्मक लेखापरीक्षा प्रेक्षणों जिसमें ₹ 15.37 करोड़ की राशि अंतर्निहित है, का उल्लेख अनुवर्ती कंडिकाओं में किया गया है।

7.3 शिथिल खदानों पर ग्रामीण अवसंरचना एवं सड़क विकास कर का अनारोपण/कम वसूली होना

अवधि 2013–14 के लिए 210 खनि पट्टेदारों द्वारा देय ग्रामीण अवसंरचना तथा सड़क विकास कर राशि ₹ 6.47 करोड़ के विरूद्ध ₹ 5.67 लाख का भुगतान किया। परिणामस्वरूप राशि ₹ 6.41 करोड़ की रॉयल्टी की कम वसूली हुई।

हमने मध्यप्रदेश ग्रामीण अवसंरचना तथा सड़क विकास अधिनियम 2005 के प्रावधानों एवं नवम्बर 2010 की अधिसूचना के अनुसार दस जिला खनिज कार्यालयों[1] में मुख्य खनिजों के खनि पट्टो के वैयक्तिक प्रकरण की संवीक्षा के दौरान अवलोकित किया (अप्रैल 2014 एवं फरवरी 2015 के मध्य) कि 16,175 हेक्टेयर शिथिल खदानों हेतु 796 खनि पट्टेदारों की नमूना जाँच में पाया कि 210 खनि पट्टेदारों ने 2013–14 की अवधि हेतु मध्यप्रदेश ग्रामीण अवसंरचना तथा सड़क विकास अधिनियम 2005 के प्रावधानों तथा इसके पश्चात नवम्बर 2010 में जारी अनुदेशों के अनुसार देय ग्रामीण अवसंरचना तथा सड़क विकास कर ₹ 4000 प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष की दर से देय राशि ₹ 6.47 करोड़ के विरूद्ध ₹ 5.67 लाख का भुगतान किया। विभाग ने कर की वसूली हेतु कोई कार्यवाही प्रारम्भ नही की। यद्यपि प्रत्येक पट्टाधारी को नियम–7 की शर्तो के अनुसार प्रत्येक तिमाही के अंतिम दिन तक कर जमा करना था लेकिन विभाग ने प्रत्येक तिमाही में कर संग्रहित नहीं किया। परिणामस्वरूप ₹ 6.41 करोड़ राजस्व की कम वसूली हुई।

हमारे द्वारा प्रकरण इंगित किये जाने पर (अप्रैल 2014 एवं फरवरी 2015 के मध्य) जिला खनिज अधिकारी छिंदवाड़ा, दमोह, नरसिंहपुर, नीमच, सीधी व टीकमगढ़ ने बताया कि अभिलेखों की संवीक्षा के पश्चात/वसूली की कार्यवाही की जायेगी। जिला खनिज अधिकारी अनूपपुर, कटनी, सतना एवं शहडोल ने बताया कि मांग पत्र जारी कर राशि वसूल की जायेगी।

हमने प्रकरण शासन तथा विभाग को प्रतिवेदित किया (मई 2015) उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (नवम्बर 2015)।

7.4 खनिज पट्टा विलेखों के प्रकरणों में मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण

विभाग, राज्य के राजस्व हितों की रक्षा करने में विफल रहा क्योंकि विभागीय निर्देशों के अनुसार संविदा धन की पूरी राशि पर मुद्रांक शुल्क का आरोपण करने के स्थान पर, खनि पट्टों के अनुबंध ₹ 100 के स्टांप पेपर पर निष्पादित किये गये, जिससे ₹ 4.01 करोड़ के मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की कम वसूली हुई।

[1] अनूपपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, कटनी, नरसिंहपुर, नीमच, सतना, शहडोल, सीधी और टीकमगढ़

हमने जिला खनिज कार्यालय कटनी एवं टीकमगढ़ में मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम लिमिटेड (म.प्र.रा.ख.नि.लि.) को स्वीकृत पट्टों से संबंधित व्यापारिक खदानों की प्रकरण नस्तियों की नमूना जाँच के दौरान अवलोकित किया (अप्रैल 2014 एवं जून 2014 के मध्य) कि जुलाई 2013 में निगम ने 4 ठेकेदारों से ₹ 45.81 करोड़ में 2 वर्षो हेतु रेत खदानों के लिए अनुबंध किया।

खनिज संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा मार्च 1993 में जारी अनुदेशों के अनुसार मुद्रांक शुल्क के आरोपण हेतु संविदा राशि की संपूर्ण राशि को प्रीमियम मानते हुए मुद्रांक शुल्क ₹ 2.29 करोड़ की राशि उद्ग्राह्य थी। इसके अतिरिक्त, भारतीय पंजीयन अधिनियम 1908 के अनुसार, मुद्रांक शुल्क के 75 प्रतिशत की दर से पंजीयन फीस ₹ 1.72 करोड़ आरोपणीय थी। तथापि, म.प्र.रा.ख.नि.लि. ने प्रत्येक प्रकरण में ₹ 100 के स्टांप पेपर पर संविदा निष्पादित की। परिणामस्वरूप **परिशिष्ट–XXIV** में दिये गये विवरणानुसार ₹ 4.01 करोड़ के मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण हुआ।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर जिला खनिज अधिकारी, कटनी ने बताया (जून 2014) कि प्रकरण को कलेक्टर ऑफ स्टांम्प को अग्रेषित कर लेखापरीक्षा को सूचित किया जायेगा एवं जिला खनिज अधिकारी टीकमगढ़ ने बताया (अप्रैल 2014) कि कंडिका की आपत्ति इस कार्यालय से संबंधित नही थी।

हम जिला खनिज अधिकारी, टीकमगढ़ के उत्तर से सहमत नही है क्योंकि म.प्र.रा.ख. नि.लि., खनिज संसाधन विभाग का एक पट्टेदार था और शासन के समस्त देय का नियमानुसार भुगतान करना पट्टेदार का दायित्व था, शासन के राजस्व हित की सुरक्षा के लिए समान जवाबदेही खनिज संसाधन विभाग की भी थी।

हमने प्रकरण शासन तथा विभाग को प्रतिवेदित किया (मई 2015) उनका उत्तर प्राप्त नही हुआ है (नवम्बर 2015)।

7.5 अनिवार्य किराये की वसूली न होना/कम वसूली

म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 के प्रावधानों के अनुसार विभाग द्वारा उत्खनि पट्टों से अनिवार्य किराये की वसूली योग्य राशि ₹ 1.31 करोड़ के विरूद्ध राशि ₹ 9.11 लाख वसूल किया जबकि खनन पट्टों के प्रकरणों में 53 पट्टेधारक, जिनके पास खनन पट्टे थे, ने जनवरी 2013 से फरवरी 2014 तक की अवधि में लंबित अनिवार्य किराया राशि ₹ 57.09 लाख का भुगतान नहीं किया, परिणामस्वरूप ₹ 1.79 करोड़ के अनिवार्य किराये की वसूली नही हुई।

7.5.1 उत्खनि मदों में अनिवार्य किराये की वसूली न होना/कम वसूली

हमने 21 जिला खनिज कार्यालयों[2] के पट्टेदारों की वैयक्तिक नस्तियों की संवीक्षा के दौरान अवलोकित किया (मई 2014 से मार्च 2015 के मध्य) कि नमूना जांच किये गये 435 उत्खनि पट्टेदारों में से 125 उत्खनि पट्टेदारों ने जनवरी 2010 से दिसम्बर 2014

[2] अनूपपुर, बालाघाट, बैतूल, भोपाल, बुरहानपुर, छतरपुर, छिंदवाड़ा, धार, ग्वालियर, हरदा, होशंगाबाद, कटनी, रायसेन, रतलाम, सागर, सतना, शहडोल, शाजापुर, सिंगरौली, उमरिया एवं विदिशा

की अवधि हेतु देय अनिवार्य किराया राशि ₹ 1.31 करोड़ के विरूद्ध ₹ 9.11 लाख का किराया भुगतान किया था।

विभाग द्वारा म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 के नियम 30 (i) (क) के अनुसार भुगतान न की गई अनिवार्य किराये की शेष शासकीय राशि जिसे प्रत्येक वर्ष प्रथम माह की बीस तारीख को या उससे पूर्व वसूल किया जाना चाहिए था को वसूल करने हेतु कोई कार्यवाही प्रारंभ नही की। ऐसा नही करने के परिणामस्वरूप ₹ 1.22 करोड़ के अनिवार्य किराये की कम वसूली हुई।

हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित किये जाने पर (मई 2014 एवं मार्च 2015 के मध्य) जिला खनिज अधिकारियों ने बताया कि अभिलेखों की संवीक्षा के उपरांत वसूली की कार्यवाही की जायेगी, मांग पत्र जारी किए जायेंगे व बकाया राशि की वसूली के पश्चात लेखापरीक्षा को सूचित किया जायेगा।

हमने प्रकरण शासन तथा विभाग को (मई 2015) प्रतिवेदित किया, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2015)।

7.5.2 खनि पट्टे के अनिवार्य किराये की वसूली न होना/कम वसूली

हमने पांच जिला खनिज कार्यालयों[3] के 555 पट्टाधारियों की प्रकरण नस्तियों की संवीक्षा के दौरान अवलोकित किया (जून 2014 और सितम्बर 2014 के मध्य) कि 194 खनन पट्टो के 53 पट्टेधारकों ने अवधि जनवरी 2013 से जनवरी 2014 तक देय अनिवार्य किराया ₹ 57.09 लाख का भुगतान नहीं किया, जो कि खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 9 (क) (i) के प्रावधानों का उल्लघंन था, जिसके अनुसार खनि पट्टे का प्रत्येक पट्टेधारक, पट्टा क्षेत्र से निष्कासित या उपयोग किये गये किसी खनिज के लिए रॉयल्टी के भुगतान का उत्तरदायी है। जिला खनिज अधिकारियों ने भी अनिवार्य किराये की वसूली हेतु मांग पत्र जारी नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 57.09 लाख के अनिवार्य किराये की वसूली नहीं हुई। **(परिशिष्ट XXV)**

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर सभी जिला खनिज अधिकारियों ने बताया कि संवीक्षा उपरांत वसूली की कार्यवाही की जायेगी।

हमने प्रकरण विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया (मई 2015) उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2015)।

7.6 रॉयल्टी की कम वसूली

दो पट्टेदारों ने खनिजों के उपभोग/परिवहन हेतु अवधि जनवरी 2012 से दिसम्बर 2013 के मध्य देय रॉयल्टी की राशि ₹ 6.81 करोड़ के विरूद्ध रॉयल्टी राशि ₹ 5.83 करोड़ का भुगतान किया जबकि उत्खनि पट्टे पर रॉयल्टी के प्रकरणों में हमने अवलोकित किया कि 34 पट्टेधारकों द्वारा अवधि जनवरी 2009 एवं दिसम्बर 2014 के मध्य निष्कासित किये गये खनिज पर राशि ₹ 1.74 करोड़ के विरूद्ध ₹ 1.09 करोड़ रॉयल्टी का भुगतान किया, परिणामस्वरूप ₹ 1.63 करोड़ के रॉयल्टी की कम वसूली हुई।

[3] अनूपपुर, सागर सतना छिंदवाड़ा, और कटनी

7.6.1 खनन पट्टे पर राज्यांश की कम प्राप्ति

हमने जिला खनिज कार्यालय कटनी एवं जिला हीरा कार्यालय, पन्ना से सम्बन्धित प्रकरण नस्तियों, कर निर्धारण तथा वार्षिक उत्पादन विवरण की संवीक्षा के दौरान (मई 2014 और जून 2014 के मध्य) अवलोकित किया कि दो पट्टेधारकों द्वारा हीरा पत्थरों, बाक्साइट (रिफ्रेक्टरी व सीमेंट/ग्रेड), लेटेराइट एवं फायर क्ले के उपभोग/परिवहन हेतु अवधि जनवरी 2012 और दिसम्बर 2013 के मध्य में देय राशि ₹ 6.81 करोड़ के विरूद्ध ₹ 5.83 करोड़ का भुगतान किया।

जिला खनिज अधिकारी, कटनी एवं जिला हीरा अधिकारी, पन्ना ने रॉयल्टी की बकाया राशि की वसूली हेतु खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियमन, 1957 की धारा 9 (i) के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही प्रारंभ नही की। परिणामस्वरूप रॉयल्टी ₹ 98.09 लाख की कम वसूली हुई। यदि जिला खनिज अधिकारी और जिला हीरा अधिकारी विभागीय निर्देशों के अनुसार/विरणियों की समय पर संवीक्षा करते तो रॉयल्टी की कम वसूली को टाला जा सकता था।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर (मई और जून 2014 के मध्य) जिला खनिज अधिकारी और जिला हीरा अधिकारी ने बताया कि नियमानुसार कार्यवाही करने के पश्चात् लेखापरीक्षा को अवगत कराया जायेगा।

हमने प्रकरण शासन तथा विभाग को प्रतिवेदित किया (मई 2015) उनका उत्तर प्राप्त नही हुआ हैं (अक्टूबर 2015)।

7.6.2 उत्खनि पट्टे पर रॉयल्टी की कम वसूली

हमने दस जिला खनिज कार्यालयों[4] के कुल 1031 उत्खनि पट्टों से संबंधित प्रकरण नस्तियों तथा विवरणियों की संवीक्षा से अवलोकित किया (मई 2014 एवं जनवरी 2015 के मध्य) कि नमूना जांच किये गये 93 पट्टेदारो में से 34 पट्टेदारों ने जनवरी 2009 एवं दिसम्बर 2014 के मध्य हटाये गये खनिजों के संबंध में मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 1996, के नियम 30 (i)(ख) के अनुसार भुगतान योग्य राशि ₹ 1.74 करोड़ के विरूद्ध ₹ 1.09 करोड़ के रॉयल्टी का भुगतान किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 64.54 लाख के रॉयल्टी की कम प्राप्ति हुई। प्रकरण की नस्तियों से यह भी ज्ञात हुआ कि जिला खनिज अधिकारियों द्वारा राजस्व वसूली हेतु कोई कार्यवाही नही की गई थी।

हमारे द्वारा इसे इंगित किये जाने पर (मई 2014 एवं जनवरी 2015 के मध्य) जिला खनिज अधिकारी, देवास ने बताया कि देय राशि की वसूली के पश्चात लेखापरीक्षा को सूचित किया जायेगा, अन्य जिला खनिज अधिकारियों ने बताया कि वसूली हेतु आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार जांच के बाद सुनिश्चित की जायेगी।

हमने प्रकरण विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया (मई 2015), उनके उत्तर प्राप्त नही हुये है (नवम्बर 2015)।

[4] बैतूल, भोपाल, धार, देवास, हरदा, पन्ना, रायसेन, रीवा, सतना और शहडोल

7.7 व्यापारिक खदानों में संविदा राशि की वसूली न होना/कम होना

विभाग द्वारा 28 प्रकरणों में व्यापारिक खदानों के अनुबंध के लिए वसूली योग्य राशि ₹ 65.74 लाख के विरूद्ध केवल ₹ 3.34 लाख वसूली की गयी परिणामस्वरूप संविदा राशि ₹ 62.40 लाख की वसूली नहीं हुई/कम वसूली हुई।

हमने 09 जिला खनिज कार्यालयों[5] में 126 व्यापारिक खदानों के प्रकरणों में से 112 प्रकरणों की नमूना जांच के दौरान 28 प्रकरणों में (मई 2014 एवं नवम्बर 2014 के मध्य) अवलोकित किया कि अवधि 2011–14 में ठेकेदारों से संविदा राशि ₹ 65.74 लाख बकाया थी जिसके विरूद्ध केवल राशि ₹ 3.34 लाख वसूली की गयी। विभाग द्वारा मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 37 (i) एवं ठेकेदार के अनुबंध की शर्त क्र. 5 (i) एवं 9 के अनुसार संविदा राशि की वसूली हेतु कोई कार्यवाही नही की थी। परिणामस्वरूप 28 ठेकेदारों से संविदा राशि ₹ 62.40 लाख की वसूली नही/कम हुई जिसका विवरण **परिशिष्ट-XXVI** में दर्शाया है।

हमारे द्वारा इसे इंगित किये जाने पर (मई 2014 एवं नवम्बर 2014 के मध्य), जिला खनिज अधिकारी शाजापुर ने बताया कि वसूली की कार्यवाही की जायेगी जिला खनिज अधिकारी हरदा, रतलाम, उमरिया और विदिशा ने बताया कि वसूली की कार्यवाही के पश्चात् लेखापरीक्षा को सूचित किया जायेगा। जिला खनिज अधिकारी मुरैना, श्योपुर एवं शिवपुरी ने बताया कि लेखापरीक्षा को वसूली के बारे में जांच के पश्चात् सूचित किया जायेगा। जिला खनिज अधिकारी सीधी ने बताया कि खदान को वन एवं पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड भोपाल से पर्यावरणीय मंजूरी न मिलने के कारण माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 27 फरवरी 2012 के अनुपालन में बंद किया था जिसे पुनः 21 मई 2013 को खोला गया था एवं ठेकेदार द्वारा नियमानुसार संविदा राशि को जमा किया गया था।

हम जिला खनिज अधिकारी सीधी के उत्तर से सहमत नही हैं, क्योंकि ठेकेदार ने 21 मई 2013 से 30 जून 2013 के मध्य अवधि के लिये जिसमें खदान चालू थी संविदा राशि जमा नही की थी।

हमने प्रकरण शासन तथा विभाग को प्रतिवेदित किया (मई 2015) उनके उत्तर प्राप्त नही हुए है (नवम्बर 2015)।

7.8 जारी किये गये अस्थायी अनुज्ञापत्र के विरूद्ध रॉयल्टी की वसूली न होना

जिला खनिज अधिकारी, ठेकेदार से अग्रिम रॉयल्टी ₹ 46.00 लाख की वसूली करने में विफल रहा जिस शासकीय कार्य के लिए गौण खनिज की निकासी, हटाने एवं परिवहन करने की अनुमति दी गयी थी।

हमने जिला खनिज कार्यालय, सतना में प्रकरण नस्तियों तथा ठेकेदारों को जारी किए गए अस्थायी अनुज्ञापत्रों की संवीक्षा के दौरान अवलोकित किया (मई 2014) कि एक ठेकेदार को 08 मार्च 2013 को राज्य शासन के निर्माण कार्यो के लिए तीन अस्थाई अनुज्ञापत्र जारी किए गए। जिला खनिज अधिकारी ने मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम के नियम 68 के प्रावधानों के अनुसार अग्रिम रूप से देय रॉयल्टी की वसूली नही की तथा

[5] हरदा, मुरैना, रतलाम, शाजापुर, श्योपुर, शिवपुरी, सीधी, उमरिया और विदिशा

ठेकेदारों द्वारा बिना भुगतान पर ही, अनुज्ञापत्र जारी कर दिये। इसके परिणामस्वरूप ` 46.00 लाख के रॉयल्टी की प्राप्ति नहीं हुई।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर जिला खनिज अधिकारी सतना ने बताया (मई 2014) कि तीन में से दो अस्थायी अनुज्ञापत्र सैद्धान्तिक सहमति देने के पश्चात् जारी किए थे चूंकि राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन एजेंसी से पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त नहीं हुई थी, अतः खनिज का खनन नहीं हुआ था एवं यदि खनिज का खनन नहीं किया जाता है तब राजस्व की वसूली का कोई प्रावधान नहीं है। विभाग का उत्तर स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि तीनों प्रकरणों में राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन एजेंसी से पर्यावरणीय मंजूरी अस्थायी अनुज्ञापत्र प्रदाय किये जाने के समय पूर्व से ही थी एवं नियम 68 के तहत रॉयल्टी की वसूली की जानी चाहिए थी।

हमने प्रकरण शासन तथा विभाग को प्रतिवेदित किया (मई 2015) उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2015)।

7.9 रॉयल्टी की त्रुटिपूर्ण दर के निर्धारण के कारण रॉयल्टी की कम वसूली

विभाग ने खनिजों जैसे लेटेराइट, लोह अयस्क एवं मैगनीज के विक्रय मूल्य की गणना भारतीय खान ब्यूरो द्वारा निर्दिष्ट खनिजों के विक्रय मूल्य से कम दर पर की। इसके परिणामस्वरूप ₹ 13.78 लाख की रॉयल्टी की कम वसूली हुई।

खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम की धारा 9 (i) के अनुसार पट्टा क्षेत्र से हटाये गए या उपयोग किए खनिजों के संबंध में अनुसूची–II में उल्लेखित दरों से रॉयल्टी का भुगतान करना होगा। आगे खनिज रियायत नियम के नियम 64 (घ) के अनुसार भारतीय खनन ब्यूरो द्वारा प्रकाशित विभिन्न खनिजों के लिए राज्यवार विक्रय मूल्य राज्य में किसी भी खदान में एक माह के दौरान किसी भी समय उत्पादित किसी भी खनिज के संबंध में रॉयल्टी की गणना के लिए विक्रय मूल्य होगा और रॉयल्टी उसमें दिए गए सूत्र[6] के अनुसार गणना की जायेगी।

हमने जिला खनिज कार्यालयों बालाघाट एवं जबलपुर से संबंधित अवधि 2013–14 के दस्तावेजो की संवीक्षा के दौरान (फरवरी 2015) अवलोकित किया कि तीन प्रकरणों में पट्टेदारों ने पट्टा क्षेत्र से 78,654.095 मीट्रिक टन (लेटेराइट, लौह अयस्क एवं मैगनीज) अयस्क का प्रेषण किया (जनवरी 2013 तथा दिसम्बर 2013 के मध्य)। विभाग ने खनिजों के विक्रय मूल्य की गणना भारतीय खान ब्यूरो द्वारा निर्दिष्ट खनिजों के विक्रय मूल्य से कम दर पर की। इस प्रकार रॉयल्टी ₹ 13.78 लाख कम मूल्यांकन किया गया, परिणामस्वरूप रॉयल्टी की इस सीमा तक कम वसूली हुई।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर (फरवरी एवं मार्च 2015 के मध्य) जिला खनिज अधिकारियों द्वारा बताया गया कि पालन प्रतिवेदन पृथक से प्रेषित किया जायेगा।

हमने प्रकरण विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया (मई 2015)। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (नवम्बर 2015)।

[6] रॉयल्टी = खनिज का विक्रय मूल्य (ग्रेड वार एवं राज्य वार) आई.बी.एम. द्वारा प्रकाशित x रॉयल्टी की दर (प्रतिशत में) x खनिज की कुल मात्रा ग्रेड प्रस्तुत की जाने वाली/प्रेषण की जाने वाली

7.10 विलंबित भुगतानों पर ब्याज का अनारोपण/वसूली न होना

विभाग द्वारा नियमों के प्रावधानों के अनुसार खनिज पट्टों, व्यापारिक खदानों तथा उत्खनि पट्टों से संबंधित रॉयल्टी/अनिवार्य किराया/संविदा राशि के विलंबित भुगतानों पर ब्याज ₹ 31.28 लाख का आरोपण नहीं किया।

7.10.1 खनिज पट्टा

हमनें जिला खनिज कार्यालयों अनूपपुर एवं छिंदवाड़ा के अवधि 2013–14 के मुख्य खनिज पट्टों की प्रकरण नस्तियों की संवीक्षा के दौरान अवलोकित किया (अगस्त/सितम्बर 2014) कि नमूना जांच किये गए नौ पट्टेधारकों में से दो पट्टेधारकों ने अवधि जनवरी 2008 व दिसम्बर 2013 के मध्य रॉयल्टी/अनिवार्य किराए का भुगतान 258 से 1,718 दिवसों तक विलंब से किया। जबकि खनिज रियायत नियम 1960 के नियम 64 (क) के अनुसार पट्टेदार को रॉयल्टी तथा किराया नियत दिनांक तक जमा किया जाना था, विफल रहने की स्थिति में वह निर्धारित तिथि की समाप्ति के 60 दिवस पश्चात् से ऐसे रॉयल्टी की भुगतान तिथि तक 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज के भुगतान का उत्तरदायी था।

इन प्रकरणों में विभाग द्वारा ₹ 6.96 लाख के ब्याज की राशि के निर्धारण एवं वसूली हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई। जिसके परिणामस्वरूप ₹ 6.96 लाख के ब्याज की वसूली नही हुई।

मार्च 2015 में यह इंगित किये जाने पर जिला खनिज अधिकारी अनूपपुर ने बताया कि राशि की वसूली उपरांत लेखापरीक्षा को सूचित किया जायेगा एवं जिला खनिज अधिकारी छिंदवाड़ा ने बताया कि प्रकरणों की जांच के पश्चात कार्यवाही की जायेगी।

7.10.2 व्यापारिक खदान

हमने पांच जिला खनिज कार्यालयों[7] के अवधि अप्रैल 2011 से मार्च 2014 के 144 व्यापारिक खदानों में से 59 व्यापारिक खदानों की नमूना जांच के दौरान संवीक्षा में अवलोकित किया (जुलाई से सितम्बर 2014) कि 26 ठेकेदारों के स्वामित्व की 59 व्यापारिक खदानों ने सात से 452 दिवस विलंब से भुगतान किया। यह मध्यप्रदेश गौण खजिन नियम 1996 के नियम 37 (i) एवं संविदा अनुबंध की शर्त क्र. 5 (i) के अनुरूप नही था जिसमें प्रावधानित था कि व्यापारिक खदानों के ठेकेदार को देय संविदा राशि, संविदा अनुबंध में दी गई तिथि को अथवा पूर्व भुगतान करना आवश्यक है, जिसमें विफल रहने पर चूक जारी रहने तक ठेकेदार संविदा राशि के अतिरिक्त 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज के भुगतान का दायी होगा।

विभाग द्वारा इन विलंबित भुगतानों पर ब्याज की वसूली के लिए मांग पत्र जारी नही किया गया, परिणामस्वरूप ब्याज ₹ 11.11 लाख की वसूली नहीं हुई।

इसे इंगित किये जाने पर जिला खनिज अधिकारियों द्वारा बताया गया कि जांच के पश्चात् बकाया राशि की वसूली की जावेगी।

[7] अनूपपुर, छिंदवाड़ा, जबलपुर, पन्ना और शाजापुर

7.10.3 उत्खनि पट्टा

हमने सात खनिज कार्यालयों[8] की अवधि अप्रैल 2011 से मार्च 2015 के मध्य उत्खनि पट्टों के प्रकरणों की संवीक्षा (अप्रैल, अगस्त व दिसम्बर 2014) के दौरान कुल 697 उत्खनि पट्टों में से 183 उत्खनि पट्टों की नमूना जांच की एवं 45 उत्खनि पट्टों में पाया कि अनिवार्य किराया/रॉयल्टी के भुगतान में 16 से 1,357 दिवस के मध्य विलंब से हुआ।

मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 1996 के नियम 30 (i) (घ) के अनुसार उत्खनि पट्टों के पट्टेदारों को यह आवश्यक है कि अनिवार्य किराया अथवा रॉयल्टी का भुगतान उपनियम (क) एवं (ख) के अधीन वर्ष के प्रथम माह की 20 तारीख तक अथवा इसके पूर्व हो, विफल रहने पर चूक जारी रहने तक 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज के भुगतान का दायी होगा। तथापि विभाग ने इन विलेखित भुगतानों पर कोई ब्याज आरोपित नही किया। इसके परिणामस्वरूप ब्याज ₹ 13.21 लाख की वसूली नही हुई। **(परिशिष्ट – XXVII)**

इसे इंगित किये जाने पर (दिसम्बर 2014 एवं मार्च 2015) जिला खनिज अधिकारी देवास, शिवपुरी एवं उज्जैन ने बताया कि देय राशि की वसूली के पश्चात लेखापरीक्षा को सूचित किया जायेगा, अन्य जिला खनिज अधिकारियों ने बताया कि जांच पश्चात् कार्यवाही की जायेगी।

हमने प्रकरण शासन तथा विभाग को प्रतिवेदित किया (मई 2015), उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2015)।

7.11 आंतरिक लेखापरीक्षा

आंतरिक लेखापरीक्षा आंतरिक नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण अंग है एवं सामान्यतः इसे सभी नियंत्रणों पर नियंत्रण के रूप में परिभाषित किया गया है। यह सुनिश्चित करने मे सहायता करता है कि संगठन निर्धारित प्रणाली के अनुरूप कार्य कर रहा है।

विभाग ने बताया कि विभाग में कोई आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा विधमान नहीं थी अतः अवधि 2009–10 से 2014–15 के दौरान खनन इकाईयों की आंतरिक लेखापरीक्षा आयोजित नहीं की गई।

[8] देवास, हरदा, होशंगाबाद, पन्ना, शिवपुरी, टीकमगढ़ और उज्जैन